

16-12-2014

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 ।

आरोपी नान्हीबाई सहित व आरोपी अन्नू द्वारा श्री एच0आर0दुबे अधिवक्ता ।

प्रार्थिया इंदिराबाई स्वतः उपस्थित ।

आरोपी अन्नू की ओर से हाजरी माफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार ।

श्री एच0आर0दुबे अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-320 एवं 320(2)दं.प्र.सं. का पेश कर राजीनामा किये जाने की अनुमति एवं राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थिया इंदिराबाई ने राजीनामा स्वैच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है तथा प्रार्थी/ आहत की पहचान श्री एच0आर0दुबे अधिवक्ता द्वारा की गई ।

आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध का आरोप है । आरोपीगण के विरुद्ध अपराध का शमन किये जाने हेतु फरियादी इंदिराबाई सक्षम पक्षकार है । आरोपीगण के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण पेश नहीं किया गया है । आरोपित अपराध धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.वि. शमनीय प्रकृति का है । उभयपक्ष का उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । फलस्वरूप आरोपी नान्हीबाई एवं अन्नू को शमनीय अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो के अपराध से दोषमुक्त किया जाता ।

प्रकरण में आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक नग पत्थर छोटा है, जो मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे ।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार भेजा जावे ।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर